

## विज्ञापन

दक्षिण मध्य रेलवे ने निम्नलिखित की सप्लाई के लिए फर्मों/कंपनियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है:

1. लाइसेंसधारी द्वारा प्रचालित लघु स्थिर खानपान यूनिटों में बिक्री के लिए स्वामित्व सामान डिपो मद(पीएडी आइटम).
2. गैर-अनिवार्य 'रेल नीर' स्टेशनों/ट्रेनों पर और 'रेल नीर' की कम सप्लाई होने की स्थिति में अनिवार्य 'रेल नीर' स्टेशनों/ट्रेनों पर पैकेज्ड पेयजल (पीडीडब्ल्यू).

पंजीकरण प्रक्रिया 15.02.2022 से खुली रहेगी. इच्छुक पार्टियां किसी भी कार्य दिवस के दौरान 11:00 बजे से 17:00 बजे के बीच खानपान अनुभाग, पहली मंजिल, रेल निलयम, सिकंदराबाद में पात्रता मानदंड और अन्य निबंधन व शर्तों के अनुसार आवेदन जमा करते हुए अपने उत्पादों को पंजीकृत कर सकते हैं. पात्रता मानदंड और अन्य निबंधन व शर्तों का विवरण दक्षिण मध्य रेलवे के वेबसाइट अर्थात [www.scr.Indianrailways.gov.in](http://www.scr.Indianrailways.gov.in) पर अपलोड किया गया है और प्र मुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक के कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है.

(एसएमजी/जी)

कृते प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक